

भा०कृ०अ०प०-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर-त०-मालपुरा-टोक-राजस्थान

क्रमांक: 6(228)एसपी/2010/

दिनांक: 22-04-2017

कोटेशन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के फार्म क्षेत्र में निम्नाकिंत खडे व नीचे गिरे सूखे पेड़ों / झांसडियों की बिक्री करने के लिये आपसे अपनी उच्चतम दर प्रस्तुत करने हेतु कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्रसं	कार्य का नाम	दर प्रति विवरंल (शब्दों व अंको में)
1	शीशम की सुखी लकड़ी	प्रति विवरंल
2	नीम की सुखी लकड़ी	प्रति विवरंल
3	देशी बबूल की सुखी लकड़ी	प्रति विवरंल
4	सफेदा की सुखी लकड़ी	प्रति विवरंल
5	अन्य जलाऊ लकड़ी	प्रति विवरंल
6	झांसडी	प्रति विवरंल

खडे व नीचे गिरे सूखे पेड़ों की लकड़ी / झांसडियों की बिक्री करने के लिये नियम एवं शर्तें

- 1— कोटेशन सादे कागज पर बन्द लिफाफे में संस्थान के निदेशक महोदय के नाम **दिनांक 15.05.2017 को 1-00 बजे** तक क्रय अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना है। उक्त तिथि को 1-00 बजे बाद, देरी से प्राप्त, सशर्त व तार द्वारा प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जावेगे तथा कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3-00 बजे कोटेशनदाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेगें। साथ ही ठेकेदार के पास आयकर विभाग के पेन नं०(INCOME TAX PAN NO.) होना आवश्यक हैं बिना पेन नं० कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 2— उक्त कार्य हेतु उच्चतम दर ही स्वीकार की जायेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में प्रथम उच्चतमदरदाता से आपसी बातचीत (नेगोसियसन) भी किया जा सकता है।
- 3— ठेकेदार को कोटेशन के साथ 5000/- रुपये (अंके पांच हजार रुपये मात्र) बतोर अमानत राशि के रूप में, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar के नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मालपुरा में देय हो सलग्न करना आवश्यक हैं बिना अमानत राशि के कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 4— सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी। उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जायेगा। तथा कार्य सन्तोष-जनक पूरा होने के उपरान्त जमा अमानत / जमानत राशि छ: माह बाद वापिस लौटाई जायेगी।
- 5— संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से संस्थान की सम्पत्ति, किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान करने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6— लकड़ी / झांसडियों की दर प्रति विवरंल प्रस्तुत करनी हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर से कम मोटाई की लकड़ी को झांसडी में शामिल किया जावेगा, इस मोटाई से ज्यादा मोटी लकड़ी सूखी लकड़ी में शामिल किया जायेगा।
- 7— सूखे पेड़ों की कटाई, ढुलाई व तोलने आदि कार्य के लिये श्रमिक स्वयं ठेकेदार के होगे तथा लकड़ी की तुलाई संस्थान के धर्म कांटे पर समिति के समक्ष की जावेगी तथा धर्म कांटे पर किया गया तोल ठेकेदार को मान्य करना होगा। लकडियों को ट्रेक्टर में भरने से पूर्व खाली ट्रेक्टर मय ट्रोली का तोल संस्थान के धर्म कांटे पर करवाना होगा।
- 8— उक्त कार्य में काम आने वाले औजार व उपयोगी यंत्र आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा लकडियां लेजाने के लिये ट्रेक्टर मय ट्रोली स्वयं ठेकेदार का होगा।

- 9— ठेकेदार द्वारा सूखी लकड़ी एवं झांसिडियों को तुलवाने के उपरान्त लकड़ी का पूर्ण भुगतान संस्थान के प्र—क्षैत्र अनुभाग में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने के उपरान्त ही लकडियों बाहर ले जाने के लिये गेट पास जारी किया जावेगा ।
- 9— सुखी लकड़ी एवं झांसिडियां "जहां है जैसी है" के आधार पर उठानी होगी ।
- 10— ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा । भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय—2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा । श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद / क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा ।
- 11— उक्त कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके तकनिकी अधिकारियों / प्रतिनिधियों के दिशा—निर्देशानुसार करना होगा ।
- 12— उक्त कार्य की अधिक जानकारी के लिये कार्यालय समय में प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग से सम्पर्क करके ज्ञात किया जा सकता है ।
- 13— ठेकेदार को लगाये जाने वाले श्रमिकों की पहचान प्र—क्षैत्र व सुरक्षानुभागों के अधिकारी व उनके प्रतिनिधियों को करवाना आवश्यक हैं तथा श्रमिकों द्वारा अन्य पेड़ों (गिले या प्रभारी द्वारा बताये जाने वाले पेड़ों के अलावा) को नुकसान पहुंचाने पर ठेकेदार को उस पेड़ का जो भी हर्जाना सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा तय किया जावेगा उसका तुरन्त भूगतान करना होगा तथा ठेका भी निरस्त किया जा सकता है ।
- 14— अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी ।
- 13— संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी एक या सभी कोटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

(रामपल वर्मा)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

- 1—श्री
- 2— नगरपालिका, मालपुरा / टोडारायसिंह
- 3— ग्राम पंचायत, डिग्गी / धोली / टोरडी / कडीला / टोरडी / चान्दसेन / लावा / पचेवर
- 4— पंचायत समिति, मालपुरा / टोडारायसिंह
- 5— प्रभारी, प्र—क्षैत्र अनुभाग को सूचनार्थ एवं अधिक से अधिक प्रचार प्रसारण करने हेतु
- 6— प्रभारी, ए०के०ए०० यूनिट को संस्थान की वेबसाइट पर प्रसारण करने हेतु
- 7— सभी सूचना पट्ट